संख्या:– (P-५५)/I/2004-6(1)/4/2004

प्रेषक:–

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल एवं पावर कारपोरेशन लि.
देहरादून ।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनाकः 21, मई, 2004

विषय:– उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–2005 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आय–व्यय विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 44(1)PFI/200300000152 दिनांक 23/24.10.2003 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजनागत पक्ष मे ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत पारेषण एवं वितरण हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण के रूप में रू0 61.30 लाख (रू0 इकसठ लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार से ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओ के विरूद्व ही व्यय किया जायेगा एवं तत्संबंधी योजनाओं की सूची शासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये। उक्त व्यय में भारत सरकार के दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा ।

2– योजनाओं के संबध में वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन, वित्त विभाग, महालेखाकार एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नियत प्रारूप मे ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं शासन को ससमय प्रेषित किया जायेगा ।

3– आवश्यक सामग्री का भुगतान संबंधित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त किया जायेगा तथा सामग्री गुणवत्ता के लिये किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जाये जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

4– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाये और व्यय उन्हीं मदों/योजनाओ पर किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 अधिकारी जिसके अधीन यह कार्य हो रहा है, ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– उक्त स्वीकृत ऋण पर 10.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। ऋण की अदायगी ब्याज सहित 20 बराबर वार्षिक किश्तों में की जायगी तथा ऋण दिनाक 1–10–2003 को अवमुक्त माना जायेगा।

7– ऋण की 50 प्रतिशत धनराशि के लिये 5 वर्ष की प्रारम्भ में ग्रेस अवधि मान्य होगी, जिसके बाद इसकी 15 बराबर किश्तों में ब्याज सहित अदायगी की जायेगी।

8– प्रतिवर्ष देय किश्त का भुगतान प्रतिवर्ष माह जून से मार्च (अगले वर्ष) में 10 बराबर किश्तों में किया जायेगा। मासिक किश्तों की आदायगी प्रत्येक माह की 15 वीं तिथि तक माह जून से अगले वर्ष माह मार्च तक की जायेगी।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

....2

C

कोषागार द्वारा यह धनराशि निगम के पी0एल0ए0 खाते में जमा कर किया जायेगा। जहां से निगम आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर सकेगा।

10– ऋण की अदायगी नियमित रूप से न किये जाने की दशा में अवशेष मूलधन ब्याज की किश्तों पर 13.25 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज (पेनल) देय होगा।

11– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाना है।

12– (अ) प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाऊचर सं0, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजें ।

(ब) किश्तों का भुगतान एवं ब्याज जमा करने की सूचना महालेखाकार कार्यालय को निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान सं0, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक , जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज ।

(स) ऋण संख्या आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें ।

13– स्वीकृत ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत –190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं–01—एपीडीपी योजनान्तर्गत पारेषण एवं वितरण हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 की सहायता/ऋण–30–निवेश/ऋण नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 338/वि0अनु0–3/2004, दिनांक– 20 मई, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:– (५–५५)/I/2004-6(1)/4/2004,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान मे लाने हेतु ।
2– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान मे लाने हेतु।
3– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
4– जिलाधिकारी, देहरादून ।
5– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
10–गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव